# उर्दू प्रतियोगिता की नियमावली

1. इन प्रतियोगिताओं का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की (i) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता (ii)उर्दू निबंध प्रतियोगिता है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भाषा नीति के अन्तर्गत उर्दू भाषा के प्रोत्साहन और प्रचार–प्रसार के अतिरिक्त दिल्ली सरकार एवं इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू के प्रति रूचि पैदा करना और उन्हें विभागीय काम– काज में एक अनिवार्य स्तर तक उर्दू के प्रयोग, की दिशा में प्रेरित करना है।

2. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस,
और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भी भाग ले सकते है।

3. प्रतियोगी उर्दू की किसी एक प्रतियोगिता में अथवा सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इन में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं है।

4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने नाम उर्दू अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सी–विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली के पास उचित माध्यम द्वारा भेजने होंगे।

5. **उर्दू सुलेख प्रतियोगिता** के कुल अंक 50 होंगे, इसका समय 20 मिनट होगा।

**उर्दू सुलेख प्रतियोगिता**

| | | |
|---|---|---|
| वर्ग | 'क' | भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या समकक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये। |
| वर्ग | 'ख' | सीनियर सैकेंडरी से ऊपर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये। |
| वर्ग | 'ग' | उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर) |
| वर्ग | 'घ' | उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये। |

**उर्दू निबंध प्रतियोगिता**

| | | |
|---|---|---|
| वर्ग | 'क' | भाषा विभाग की उर्दू कक्षा में पास या समकक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये। |
| वर्ग | 'ख' | सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए। |
| वर्ग | 'ग' | सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर (स्नातक एवं स्नातक उत्तर) तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए। |
| वर्ग | 'घ' | उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु ।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर) |
| वर्ग | 'ङ' | उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये। |

6. प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:–

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | (एक) | 4000/–रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | (एक) | 3000/–रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | (एक) | 2000/–रूपये |
| प्रोत्साहन पुरस्कार | (पाच)(प्रत्येक वर्ग) | 800/–रूपये |

7. सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध में और पुरस्कारों की संख्या, राशि, स्थान और तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार का समुचित परिवर्तन करने का अधिकार है।

8. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या उसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव(भाषा) दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम, बाध्यकर और सर्वमान्य होगा।

9. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, उर्दू सैल और उर्दू अकादमी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/कार्यालय में कार्यरत उर्दू भाषा से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी भी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।